

“बैंक हेतु भवन/परिसर की आवश्यकता”

उ0प्र0 स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि0, की गोविन्द नगर शाखा, कानपुर को वर्तमान शाखा भवन संख्या-124/एन/07 मिश्रा मार्केट, गोविन्द नगर, कानपुर को गोविन्द नगर, कानपुर में ही निर्मित भवन में शाखा को स्थानान्तरित किया जाना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बैंक शाखा खोलने हेतु भवन/परिसर के लिए निम्नलिखित मानक अनिवार्य हैं :-

1. बैंक हेतु भवन/परिसर का कार्पेट एरिया 1000 वर्गफीट से 1500 वर्गफीट होना चाहिए।
2. बैंक हेतु भवन/परिसर भूतल पर होना चाहिए।
3. भवन/परिसर का कामर्शियल प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं भवन/परिसर का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
4. भवन/परिसर पर किसी भी प्रकार का वाद न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
5. भवन/परिसर हेतु वांछित किराया प्रति वर्गफुट।
6. परिसर में 15 के0वी0ए0 का बिजली कनेक्शन(केवल बैंक प्रयोग हेतु) व पानी की आपूर्ति, जनरेटर लगाने की व्यवस्था तथा बैंक की आवश्यकतानुसार अन्य आधारभूत सुविधायें होनी चाहिए।
7. भवन/परिसर की छत पर कनेक्टिविटी हेतु वी0सेट/आर0एफ0 लगाने के लिए स्थान तथा स्टाफ एवं ग्राहकों हेतु पार्किंग के लिए समुचित स्थान का होना आवश्यक है, जिसका कोई किराया अलग से देय नहीं होगा।
8. बैंक के पास बिना कोई कारण बताये सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ किराये पर दिये जाने वाले भवन/परिसर का नक्शा व लोकेशन प्लान, पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।
10. निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
11. भवन स्वामी आवेदन पत्र में मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक भवन स्वामी अपना प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में दिनांक **24.01.2026** सायं 5:00 बजे तक मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, 124/एन/07 मिश्रा मार्केट, गोविन्द नगर शाखा कानपुर को डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करें।

